## सार-समाचार

### रामगंजमण्डी पुलिस ने चेन स्नेचिंग की घटना का खुलासा किया

**रामगंजमंडी,** (निसं)। रामगंजमंडी पुलिस को कस्बे में 8 जून को दिन-दहाड़े हुई चेन स्नेचिंग की घटना के अभियुक्तगण में से एक विधि से संघर्षरत बालक को निरूद्ध करने में सफलता मिली है। पुलिस के अनुसार गत 8 जून 2026 को फरियादिया संजना रत्नावत पुत्री बालकृष्ण रत्नावत ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि मैं अपने परिजनों के साथ बाजार जा रही थी कि सरकारी कुएं के पीछे से एक मोटरसाईकिल पर तीन लड़के आये और मेरी गले की सोने की चेन को छिनकर ले गये। मोटरसाईकिल चलाने वाले ने ही झपट्टा मारकर चेन तोड़ी थी। चेन का वजन 10.993 ग्राम है। पुलिस अधीक्षक जिला कोटा ग्रामीण द्वारा मामले की गम्भीरता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया एवं चेन तोड़ने वाले फरार तीन अज्ञात आरोपीयों की तलाश के लिये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकल्याण मीणा के सुपरविजन में टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज देखे गये तथा आने जाने के रूट का रूटमैप तैयार किया गया तथा सीसीटीवी फुटैज आने जाने वाले मार्ग के सीसीटीवी फुटेज चैक किये तो उक्त तीनों अज्ञात आरोपी कोटा सीटी से आना एवं बाद वारदात कोटा सीटी में प्रवेश करना पाया। अनुसंधान टीम के सदस्य भुपेन्द्र सिंह सायबर सैल ने जानकारी दी कि उक्त घटना में बबलू उर्फ गबरिया एवं उसके सहयोगी शामिल है। टीम द्वारा फरार आरोपीगण बबलु उर्फ गबरिया निवासी घोड़ा बस्ती एवं उसके 2 नाबालिग साथियों की तलाश हेतु 200 से अधिक कैमरों को खंगाला गया। पुलिस को जानकारी मिली कि उक्त घटना में शामिल एक बालक कोटा में एयरोड्राम क्षेत्र में घूम रहा है। इस पुलिस द्वारा एक विधि से संघर्षरत बालक को एरोड्राम कोटा के पास से डिटेन कर अनुसंधान किया गया। घटना शेष वांछित आरोपी बबलु उर्फ गबरिया एवं अन्य नाबालिग साथी हेतु प्रयास जारी है।

### 72 हजार प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल जब्त

**कोटा,** (निसं)। नारकोटिक्स टीम की ओर से मादक पदार्थो के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) राजस्थान यूनिट टीम ने मुखबीर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए 72 हजार ट्रामाडोल कैप्सूल जब्त किये, साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के उप नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि मुखबीर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति प्रतिबंधित दवाओं की खेप लेकर आगरा से महवा की ओर उत्तरप्रदेश राज्य सड़क परिवाहन निगम की बस से यात्रा कर रहा है। उक्त सूचना के आधार पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) जयपुर के अधिकारियों की एक टीम गठित कर उक्त बस की निगरानी एवं रोकने हेतु रवाना किया गया। गठित टीम ने कड़ी निगरानी के बाद संदिग्ध बस की पहचान कर उसे आगरा-महवा मार्ग पर भरतपुर बाईपास के निकट, महवा जिला दौसा में रोका लिया गया। उक्त बस की तलाशी ली गई, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की गई। उक्त व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास से तीन पॉलीबैग में छिपाकर रखे गए कुल 72,000 प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद हुए। बरामद प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल को जब्त कर लिया गया तथा एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, मामले में आगे की जांच जारी हैं।

### बाईक नहर में गिरी, एक की मौत

**कोटा,** (निसं)। कैथून थाना इलाके में सोमवार रात्रि को अनियंत्रित होकर बाईक नहर में गिरने से बाईक सवार दो युवकों में से एक की मौत हो गई एवं एक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैथून थानाधिकारी मनोज सिकरवार ने बताया कि खेड़ा चौराहा निवासी विशाल व अभिषेक दोनों बाईक से घर की ओर जाते समय दायीं मुख्य नहर के किनारे लाड़पुरा पुलिया खाल पार करते समय बाईक अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। थानाधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मौके पर रेसक्यू टीम को बुलाया गया। थानाधिकारी ने बताया कि थोडी देर के रेस्क्यू के बाद दोनों को नहर से बाहर निकाला गया, हादसे में बाईक सवार विशाल की मौत हो गई, मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया हादसे में घायल अभिषेक का उपचार अस्पताल में चल रहा है, मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

### अवैध हथियार सहित गिरफ्तार

**भवानीमंडी,** (निसं)। अवैध हथियार के खिलाफ पुलिस थाना भवानीमंडी ने कार्यवाही की है जिसमें अवैध हथियार के साथ एक अभियुक्त अमन जैन को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा को जप्त किया है। जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थ, अवैध हथियार तस्करी को गंभीरता से लेते हुये जिले में सभी थानाधिकारियों को थाना स्तर पर टीम गठित कर आपराधिक प्रवृतियों के बदमाशान को चिहिन्त कर आपराधियों की धरपकड़ लिए विशेष अभियान चला रखा है। जिसके अन्तर्गत पुलिस थाना भवानीमंडी टीम ने कार्यवाही करते हुए दौराने गश्त अवैध हथियार को अपने कब्जे मे रखना व तस्करी करते हुये आरोपी अमन जैन को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से एक अवैध देशी कटटा को जब्त करने में सफलता प्राप्त की है।

### नाबालिग ने आत्महत्या की

**कोटा,** (निसं)। नयापुरा थाना इलाके में एक 17 वर्षीय नाबालिग ने घर में फांसी का फन्दा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार नयापुरा इलाके के खंड गांवडी निवासी 17 वर्षीय नाबालिग ने घर में फांसी का फन्दा लगा लिया, जिसे उपचार के लिये अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। नयापुरा थानाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि खंड गांवड़ी निवासी अभिषेक सालोदिया ने घर में फांसी का फन्दा लगाकर सुसाईड कर लिया। थानाधिकारी ने बताया कि फिलहाल आत्महत्या के पीछे कोई कारण सामने नही आया है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनो को सौंप दिया, मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

### संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिला

**छबड़ा** (निसं)। पाली थाना क्षेत्र के गांव नगदी में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था मे पड़ा मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची ने शव को अपने कब्जे में लेकर यहां के चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया। यहां चिकित्सको द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी अनुसार मृतक हरिप्रसाद उर्फ बबलू लोधा (38) निवासी नगदी पिछले 2-3 दिनों से लापता था। जो बीती रात्रि को गांव के ही खेत के पास मृत अवस्था में पड़ा मिला।

# ऐसा लगता है भाजपा सरकार ने सारी प्रशासनिक मशीनरी को अत्याचार करने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया : गुंजल

■ प्रशासन यदि गंभीरता से नहीं लेगा तो आंदोलन बड़ा होगा : पूर्व प्रधान मन्ना लाल गुर्जर

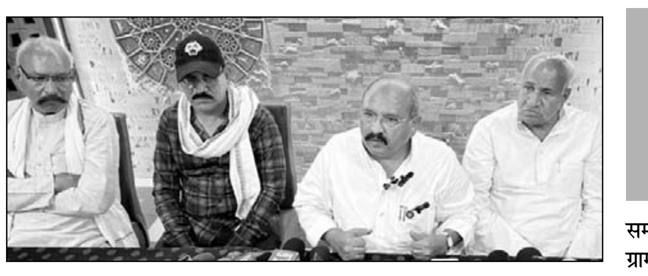

कोटा में केडीए, वन विभाग व पुलिस के खिलाफ सीएडी स्थिति केडीए कार्यालय पर होने वाले प्रदर्शन को लेकर प्रेसवार्ता की।

**कोटा,** (निसं)। 25 जून को केडीए, वन विभाग व पुलिस के खिलाफ सीएडी स्थिति केडीए कार्यालय पर होने वाले प्रदर्शन को लेकर राजस्थान गुर्जर महासभा व हाड़ौती गुर्जर महासभा ने कहा कि 25 जून को कोटा में होने वाले प्रदर्शन में हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचेंगे व सरकार और प्रशासन द्वारा ग्रामीणों के साथ की जा रही ज्यादतियों का विरोध करेंगे। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा कि 25 जून को कोटा बूंदी सहित आसपास के गांव के सैकड़ो गांवों केडीए व वन विभाग से प्रभावित लोग केडीए कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे।

उन्होंने कहा कि केडीए व वन विभाग में लोगों का जीना हराम कर रखा है लोग 24 घंटे भय के माहौल में जी रहे हैं कि कब केडीए व वन विभाग का पीला पंजा आ जायेगा और हमारे अस्तित्व को मिटा देगा। जिन गांवों में चार-चार सौ साल से लोग रह रहे हैं उन गांव के साथ पीढ़ियों की यादें जुड़ी हैं। किसी का दादा, किसी का परदादा जहां उनका बचपन कटा और जिन खेत-खलियानों में पूरी सात पुस्ते पली आज उन पर डाका डाला जा रहा है, कल तक जो जंगल जानवरों के चरने के लिए उनकी आजीविका का आधार होता था आज इस भाजपा सरकार में उसमें पशुधन के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।

गुंजल ने कहा कि प्रजातंत्र की व्यवस्था लोगों में भय के लिए नहीं बनाई जाती, सुरक्षा की गारंटी के साथ जानमाल, राजनीतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत तमाम अधिकारों की सुरक्षा के लिए डेमोक्रेसी की व्यवस्था कायम की गई है। इसी व्यवस्था के खिलाफ हम 25 तारीख को आ रहे हैं सरकार को जवाब देना होगा।

पूर्व प्रधान मन्ना लाल गुर्जर ने कहा की केडीए व वन विभाग का जो अत्याचार ग्रामीण पर हो रहा है उसे अब ग्रामीण सहन नहीं कर पा रहे हैं और ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है 25 जून को प्रदर्शन में कोटा बूंदी के सैकड़ों गांव के लोग खुद चलकर आ रहे हैं।

पूर्व सरपंच रामलाल गुंजल ने कहा कि जब शहरों में वर्षो से बसे लोगों को सरकार पट्टे दे रही है तो सैकड़ो वर्षो से गांव में बसे लोगों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। गांव में रह रहे लोगों को भी रेगुलाईज करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है ग्रामीणों को केडीए व वन विभाग द्वारा परेशान किया जा रहा है ग्रामीणों का गुस्सा 25 जून को कोटा की सड़कों पर नजर आएगा।

पूर्व सरपंच बोराबास गोविंद भड़क ने कहा कि गांव में रह रहे सर्व समाज, गुर्जर समाज, मीणा समाज, बंजारा समाज, आदिवासी समाज सहित सभी ग्रामीण बड़ी संख्या में प्रदर्शन में पहुंचेंगे उन्होंने कहा कि आजादी के पहले बसे गांव की जमीन वन विभाग की कैसे हो गई भाजपा के इशारे पर कोटा-बूंदी के ग्रामीणों के साथ ज्यादती की जा रही है उसके खिलाफ 25 जून को ग्रामीण सड़कों पर उतरेंगे। प्रदर्शन में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर सहित कई नेता शामिल होंगे।

प्रेस वार्ता में पूर्व प्रधान मन्ना लाल गुर्जर, राजस्थान गुर्जर महासभा अध्यक्ष रामलाल गुंजल, हाड़ौती गुर्जर महासभा अध्यक्ष डॉ बी एल गोचर, पूर्व पंचायत समिति सदस्य कल्याण गुर्जर, राजस्थान गुर्जर महासभा के पूर्व अध्यक्ष राजेश बोड, लोकेश गुंजल, पूर्व पार्षद धनराज चेची, विकास तंवर, लक्ष्मण बजाड़, श्रवण गुर्जर उपस्थित थे।

## संभागीय आयुक्त ने निरीक्षण किया

**कोटा,** (निसं)। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने मंगलवार को शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न अनुभागों और विभागों के काउंटर पर जाकर वहां उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से प्राप्त परिवादों और उनके निस्तारण की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि परिवाद प्राप्त होने के बाद तुरन्त संबंधित अधिकारी तक पहुंचाया जाए। संबंधित अधिकारी और कर्मचारी भी नियमानुसार अधिकतम राहत देने का प्रयास करें। उन्होंने शिविर में आए लोगों से भी बात की।

# पांच सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस का धरना-प्रदर्शन

**छबड़ा** (निसं)। शहर में पांच सूत्रीय मांगो को लेकर मंगलवार को कांग्रेस का धरना-प्रदर्शन आयोजित हुआ। यह प्रदर्शन पूर्व विधायक करणसिंह राठौड़ के नेतृत्व एवं जिलाध्यक्ष हंसराज मीणा के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। धरने को सम्बोधित करते हुए वक्ताओं ने भाजपा सरकार को जमकर आडे हाथों लिया। इसके तत्पष्चात् एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सकारात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे।

धरना-प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राठौड़ ने वर्तमान भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि खाद की भारी किल्लत से किसान परेशान है। बुवाई के मौसम में किसानों की लंबी कतारें लग रही हैं और जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित हो रही है। वही, पालिका की जमीन पर व्यापक स्तर पर सक्रिय भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण कर रखा हैं। उन पर कार्रवाई करने के बजाय छोटे फुटकर दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के नाम पर जबरन परेशान किया जा रहा हैं। जिससे छोटे दुकानदारों के सामने आर्थिक संकट उपज गया हैं।

**इन मुद्दे पर दिया धरना:-** किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने, खाद की कालाबाजारी पर अंकुष लगाने, पालिका की जमीनों पर हो रहे अवैध अतिक्रमणों को हटाने, स्मार्ट मीटर, मोतीपुरा पॉवर प्लांट में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने एवं पुलिस प्रशासन द्वारा आमजन को अनावश्यक रूप से परेशान किए जाने सहित कई मुद्दों को लेकर धरना दिया गया।

**प्रषासन से यह मिला आष्वासन:-** धरने के पश्चात् एसडीएम सपना कुमारी को ज्ञापन सौंपा गया। परिणामस्वरूप प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि 12 हजार खाद के कट्टे 1350 रुपये की दर से गुरुवार से वितरित किए जाएंगे। साथ ही स्मार्ट मीटर से संबंधित बढ़े हुए बिजली बिलों के निराकरण एवं अवैध अतिक्रमण के लिए 15 जुलाई तक सर्वे का समय दिया है।

**यह रहे मौजूद:-** यहां संभागीय अध्यक्ष सत्यनारायण भूमलिया, जिला उपाध्यक्ष गिर्राज मीणा, बाबूलाल मीणा, जिलाध्यक्ष एससी मोर्चा बृजेश वर्मा, आखाखेड़ी सरपंच तोलाराम मीणा, अटरू ब्लॉक अध्यक्ष भारतेंदु सिसोदिया, वरिश्ठ कांग्रेस नेता वरिष्ठ नेता गोविंद सोनी दरबार, चिरंजीवलाल भार्गव, महिला ब्लॉक अध्यक्ष मिथलेश भार्गव, जिला महासचिव लोकेंद्र सिंह सारथल, महफूज भाई परमानंद मीणा, सौभाग नागर, राजेंद्र घेंघट, नवीन उपाध्याय, भैरूलाल प्रेमी, वीरेंद्र प्रतापसिंह, सतीश मालव, रामनरेश मीणा, संजय सेन, वसीम, मानसिंह गुर्जर, हिम्मत गुर्जर आदि सैकडो कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ब्लॉक अध्यक्ष मनोज भार्गव ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए कार्यकर्ताओं एवं आमजन का आभार व्यक्त किया। संचालन एडवोकेट राजेश भार्गव ने किया।

## ग्रामीण सेवा शिविर आज

**बूंदी,** (निसं)। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने और सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों के घर-द्वार तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत 24 व 25 जून को जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा शिविर लगाए जाएंगे। निर्धारित कार्यक्रमानुसार जिले में 24 जून को धनातरी व गुमानपुरा, गामछ व रघुनाथपुरा, गोठडा व धोवडा व गुढादेवजी में ग्रामीण सेवा शिविर होंगे।

## केडीए के शिविर में पिंकू रावल को भूखंड का पट्टा मिला

■ एक दिन में 16 आवेदकों की नियमन राशि हुई जमा

**कोटा,** (निसं)। राज्य सरकार द्वारा 12 जून से आयोजित किए जा रहे ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर समस्याओं के समाधान का एक सशक्त माध्यम बन रहे हैं। शहरी सेवा शिविरों में लोगों की वर्षों पुरानी पट्टों की समस्या का निस्तारण उन्हें पट्टे दिए जा रहे हैं जिससे लोग राहत महसूस कर रहे हैं।

कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित शहरी सेवा शिविर में मंगलवार को खेड़ली फाटक निवासी पिंकू रावल कका ठिकाना नहीं रहा। पिंकू रावल ने अप्रेल माह में केडीए में पट्टे के लिए आवेदन किया था लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान में भूखंड संख्या अंकित नहीं थी। राज्य सरकार के निर्देशों पर आयोजित शिविर में पिंकू ने पट्टे के लिए गुहार लगाई।

केडीए अधिकारियों ने मौका निरीक्षण कर ले-आउट प्लान में भूखंड संख्या दर्ज की और पिंकू रावल द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर उन्हें रंग तालाब श्रीराम नगर स्थित भूखंड का पट्टा जारी कर दिया।

उपायुक्त हर्षित वर्मा ने मंगलवार को केडीए परिसर में आयोजित शिविर के दौरान उन्हें पट्टा सुपुर्द कर दिया। शहरी सेवा शिविर में अश्विनी विहार देवली अरब निवासी महावीर प्रसाद वर्मा ने भी पट्टे के लिए आवेदन किया था। केडीए द्वारा प्रक्रिया पूरी कर मंगलवार को नियमन राशि जमा कर दी गई।

इसी प्रकार अमृत विस्तार बोरखेड़ा निवासी अब्दुल मतीन के मकान के पट्टे के लिए भी नियमन राशि जमा की गई। दोनों को केडीए द्वारा शीघ्र ही पट्टा जारी कर दिया जाएगा। कोटा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को एक दिन में 16 आवेदकों की पट्टों के लिए नियमन राशि जमा हुई। इनकी आगे की प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र ही पट्टे जारी किए जाएंगे।

# रेलवे ट्रैक बाधित करने वालों के विरुद्ध होगी सख्त कानूनी कार्रवाई, प्रकरण दर्ज

■ खण्डीप गांव में आंदोलन के दौरान रेलवे ट्रैक अवरुद्ध करने के मामले में रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई

**कोटा,** (निसं)। कोटा मंडल के गंगापुर सिटी क्षेत्र में पंचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर खण्डीप गांव में चल रहे आंदोलन के दौरान रेलवे ट्रैक बाधित करने एवं रेल संचालन में अवरोध उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक एवं जनसम्पर्क अधिकारी सौरभ जैन ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हुई तथा कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा समपार फाटक संख्या-192 (एलसी-192) एवं उससे सटे रेलवे क्षेत्र में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर रेलगाड़ियों की आवाजाही बाधित करने का प्रयास किया गया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि रेलवे ट्रैक पर अनधिकृत प्रवेश, 'रेल रोको' आंदोलन, रेलवे परिसरों में पटाखे जलाना, नृत्य करना अथवा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करना गंभीर दंडनीय अपराध हैं। रेलवे संपत्ति को क्षति पहुंचाने अथवा रेल संचालन में व्यवधान उत्पन्न करने वाली किसी भी गतिविधि को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैन ने बताया कि उक्त घटनाओं के संबंध में रेलवे अधिनियम की धारा 147, 145, 159 एवं 174 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

उपद्रवियों एवं कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की पहचान के लिए रेलवे एवं पुलिस प्रशासन द्वारा आधुनिक तकनीकी संसाधनों का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। घटना के दौरान ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी, बॉडी-वॉर्न कैमरों तथा वीडियोग्राफी के माध्यम से एलसी-192 एवं आसपास के क्षेत्र की सतत निगरानी की गई। प्रारंभिक जांच में कई व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है, जबकि अन्य की पहचान डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर की जा रही है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका का पृथक रूप से परीक्षण किया जाएगा तथा दोषी पाए जाने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

रेलवे प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार अथवा बहकावे में आकर अपनी सुरक्षा को खतरे में न डालें। संबंधित रेलखंड पर रेलगाड़ियां उच्च गति से संचालित होती हैं, ऐसे में रेलवे ट्रैक पर भीड का एकत्र होना न केवल रेल संचालन को प्रभावित करता है, बल्कि प्रदर्शनकारियों एवं आम नागरिकों के जीवन के लिए भी गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है। प्रशासन ने सभी नागरिकों से कानून का पालन करने, शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा रेलवे क्षेत्र से सुरक्षित दूरी बनाए रखने का आग्रह किया है।

## शिविर में मिली छूट से हुई भारी बचत

**कोटा,** (निसं)। राज्य सरकार के निर्देश पर आयोजित शहरी सेवा शिविर में एक ओर जनमानस के कार्य द्रुत गति से हो रहे हैं, वहीं सरकार की ओर से दी गई विभिन्न प्रकार की छूट से उनकी आर्थिक बचत हो रही है। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को नगर निगम में चल रहे शिविर में देखने को मिला जिसमें नामांतरण के एक मामले में आवेदक को दो लाख रूपए से अधिक का लाभ मिला। शिविर में संभागीय आयुक्त एवं प्रशासक अनिल कुमार अग्रवाल के हाथों नामांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए आवेदक के चेहरे पर खुशी के भाव देखते ही बन रहे थे।आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने बताया कि आवेदक चेतन कुमार ने महावीर नगर क्षेत्र में एक दुकान खरीदी थी। इस दुकान को अपने नाम दर्ज करवाने के लिए उन्होंने करीब दो माह पहले आवेदन किया तो सामने आया कि दुकान पर करीब 3.50 लाख रूपए का कर बकाया है। राशि काफी अधिक होने के कारण चेतन इसे जमा नहीं करवा पा रहे थे। इसी दौरान राज्य सरकार ने शहरी सेवा शिविर में बकाया कर एक मुश्त जमा करवाने पर ब्याज और पेनल्टी में छूट दे दी।


**कार्यालय नगर निगम, कोटा (राज.)**

क्रमांक : ननिको/भ.नि.अनु./जोन-द्वितीय/2026/8461-62 दिनांक : 23.06.2026

**सार्वजनिक विज्ञप्ति**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकों 1. श्री महेशचन्द्र गौतम पुत्र स्व.श्री कृष्णचन्द्र गौतम निवासी-7-ए-2, तीन बत्ती चौराहा, महावीर नगर विस्तार, कोटा 2. श्री हरीश गौतम पुत्र स्व. कृष्णचन्द्र गौतम निवासी मकान नं सीह-12, वसुन्धरा विहार, बजरंग नगर कोटा द्वारा आवास/भूखण्ड 01, गौतम सदन, डडवाडा, कोटा जं. कोटा जिसका क्षेत्रफल 2720 वर्गफीट (302.22 वर्गगज) का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तानान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है।
आवास/भूखण्ड 01, गौतम सदन, डडवाडा, कोटा जं कोटा स्थित भूखण्ड का सेल-डीड सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट कोटा (राजस्थान) द्वारा दिनांक 17.01.1958 को श्री शान्ति प्रकाश भट्टनागर पुत्र श्री कुलवन्त जिसका कुल क्षेत्रफल 200X79 = 15800 वर्गफीट निष्पादित किया गया। श्री शान्ति प्रकाश भट्टनागर पुत्र श्री कुलवन्त द्वारा जर्ये सेल-डीड से अपने भाग का एक हिस्सा 100X79 = 7900 वर्गफीट श्री मोहम्मद अहमद पुत्र श्री खैरुल्ला के पक्ष में निष्पादित किया गया। श्री मोहम्मद अहमद पुत्र श्री खैरुल्ला ने जर्ये बे-नामा दिनांक 01.03.1966 को अपने भू-भाग में से एक भू-भाग 60X40 = 2400 वर्गफीट श्री कृष्णचन्द्र पुत्र श्री गोविन्दलाल निष्पादित किया गया। नगर निगम कोटा द्वारा दिनांक 26.02.2002 को 320 वर्गफीट की स्ट्रीट ऑफ लेन्ड श्री कृष्णचन्द्र पुत्र श्री गोविन्दलाल के पक्ष मे निष्पादित किया गया। श्री कृष्णचन्द्र पुत्र श्री गोविन्दलाल की मृत्यु 16.09.2006 को हो चुकी है। श्री कृष्णचन्द्र पुत्र श्री गोविन्दलाल द्वारा जर्ये वसीयत-नामा दिनांक 14.08.1997 को आवेदकों श्री महेशचन्द्र गौतम एवं श्री हरीश गौतम पुत्र स्व. कृष्णचन्द्र गौतम के पक्ष में निष्पादित कि गई।
आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार आवास/भूखण्ड 01, गौतम सदन, डडवाडा, कोटा जं. कोटा द्वारा कुल क्षेत्रफल 2720 वर्गफीट (302.22 वर्गगज) का नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त आवास/भूखण्ड 02, विद्या विहार सेन्ट्रल स्कूल के पास, स्टेशन रोड, कोटा जं., कोटा का नाम हस्तान्तरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य कोई जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित रूप से अधो-हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

**उपायुक्त नगर निगम, कोटा**



**कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

क्रमांक :-42 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक : 22.6.26

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा भूखण्ड/दुकान संख्या-390 मुकुन्दरा विहार आवासीय योजना का आवंटन प्राधिकरण के पत्र क्रमांक-159 दिनांक 21.09.2015 को श्री नितिन सक्सेना पुत्र श्री अशोक कुमार सक्सेना आवंटन किया या था। आवंटी श्री नितिन सक्सेना द्वारा उक्त भूखण्ड/ दुकान का जर्ये रजिस्ट्रर्ड मुख्तारआम दिनाक 21.09. 2016 श्री शशिकान्त धाकड़ पुत्र श्री शंकरलाल धाकड़ को नियुक्त कर दिया गया। मुख्तारआम द्वारा रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.04.2025 द्वारा श्री हर्ष सिंह राठौर पुत्र श्री बिहारी सिंह के नाम कर दिया गया है। अतः क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड/दुकान को अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड / दुकान संख्या 390 मुकुन्दरा विहार आवासीय का नाम हस्तान्तरण आवेदक श्री हर्ष सिंह राठौर पुत्र श्री बिहारी सिंह के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

**उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**



**कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

**नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना**

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखण्ड संख्या-445 मुकुन्दरा विहार विस्तार आवासीय योजना का आवंटन / नामहस्तारण प्राधिकरण के पत्र क्रमांक-UIT-KOTA/FY22-23/MUT/1836 दिनांक 16.02.2023 द्वारा श्रीमति उषा शर्मा पत्नि श्री लोकेश शर्मा को नामान्तरण पत्र जारी किया गया था। आवंटी / नामान्तरण श्रीमति उषा शर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का जर्ये मुख्तारआम दिनांक 08.05.2024 श्री भरत सिंह पुत्र श्री बिहारी सिंह को कर दिया गया है। मुख्तारआम द्वारा उक्त भूखण्ड का जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.01.2026 को श्रीमति गिरजा कंवर पत्नि श्री बिहारी सिंह को विक्रय कर दिया गया है। अतः क्रेता द्वारा उक्त भूखंण्ड/आवास को अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/आवास संख्या-445 मुकुन्दरा विहार विस्तार आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण आवेदक श्रीमति गिरजा कंवर पत्नि श्री बिहारी सिंह के नाम स्वीकृति जारी कर दी जायेगी।

**उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**



**खोया पाया**

सिया दुलारी कटियार पत्नी श्री कृष्ण कटियार 1-c-4 महावीर नगर तृतीय का नियमितीकरण एवं अदेय प्रमाण पत्र गुम हो गया है की किसी को मिलने पर सूचित करे।

**खोया पाया**

आरिंदम पुत्र कृष्ण माहेश्वरी 1 त 14 विज्ञान नगर का आवंटन पत्र एवं कार्यालय आदेश गुम हो गया है की किसी को मिलने पर सूचित कर



**कार्यालय नगर पालिका सुल्तानपुर जिला कोटा (राज.)**

क्रमांकः-न0पा0सु0 / 2026-27 / 774-75 दिनांकः- 19.06.2026

**निविदा-सूचना**

इस कार्यालय की निविदा सूचना क्रमांक 757-58 दिनांक 18.06.2026 के द्वारा कुल 20 कार्य की अनुमानित लागत 99.24 लाख की संवेदको से मोहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्रों का विक्रय दिनांक 30.06.2026 को 09.30 बजे से 11.30 बजे तक किया जावेगा एवं उसी दिवस को 1 बजे तक टेण्डर प्राप्त किये जावेंगे तथा उपस्थित प्रस्तुतकर्ताओ के समक्ष 2 बजे खोले जावेगे। उक्त निविदा www.sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है।

| Work No. | UBN No. |
|---|---|
| 1 | DLB2627WSOB08055 |
| 2 | DLB2627WSOB08056 |
| 3 | DLB2627WSOB08057 |
| 4 | DLB2627WSOB08058 |
| 5 | DLB2627WSOB08059 |
| 6 | DLB2627WSOB08060 |
| 7 | DLB2627WSOB08061 |
| 8 | DLB2627WSOB08062 |
| 9 | DLB2627WSOB08063 |
| 10 | DLB2627WSOB08064 |
| 11 | DLB2627WSOB08065 |
| 12 | DLB2627WSOB08066 |
| 13 | DLB2627WSOB08067 |
| 14 | DLB2627WSOB08068 |
| 15 | DLB2627WSOB08069 |
| 16 | DLB2627WSOB08070 |
| 17 | DLB2627WSOB08071 |
| 18 | DLB2627WSOB08072 |
| 19 | DLB2627WSOB08073 |
| 20 | DLB2627WSOB08074 |

प्रशासक नगर पालिका सुल्तानपुर — अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सुल्तानपुर

राज.संवाद / सी / 26 / 5433



**कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

क्रमांक : एफ 11/विक्रय/2026/2092 दिनांक : 16.06.2026

**-: नाम हस्तांतरण बाबत् आम सूचना :-**

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास /भूखण्ड संख्या - 698, केशवपुरा-7 योजना का आवंटन के पत्र क्रमांक 1471 दिनांक 06.12.1982 द्वारा श्री श्यामलाल गुप्ता पुत्र श्री गुलाबचन्द गुप्ता को आवंटित किया गया था। श्री श्यामलाल गुप्ता के द्वारा श्री सुनील बोहरा पुत्र श्री डॉ. बी.एम. बोहरा को उक्त भूखण्ड की कार्यवाही के सम्बंध में मुख्तारआम नियुक्त किया गया। मुख्तारआम के आधार पर उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये विकृय पत्र दिनांक 26.10.2004 को श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नि श्री सुभाष दाधीच को कर दिया गया क्रेता श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नि श्री सुभाष दाधीच ने अपने नाम उक्त भूखण्ड का नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है।
अत: जरिये आम सूचित किया जाता है यदि इस नाम हस्तांतरण की स्वीकृती देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिन के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास / भूखण्ड संख्या - 698, केशवपुरा-7 योजना का नाम हस्तांतरण श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नि श्री सुभाष दाधीच के नाम कर दिया जावेगा।

**उपायुक्त, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**



**कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)**

क्रमांकः LU2012/KOT/2026-27/101221 **लोक सूचना** दि.23.06.2026

श्री BHERU LAL पुत्र श्री RAMKALYAN जाति BRAHMIN निवासी 98, NEAR GOVT. SCHOOL, MAANPURA ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **पर्यटन इकाई** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

| क्र. सं. | ग्राम तहसील व जिले का नाम | खातेदार का नाम | खसरा सं. | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) | क्षेत्रफल (हैक्टे.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बोरखंडी, लाडपुरा (कोटा) | BHERU LAL S/O RAMKALYAN | 12 | 19900 | 1.99 |
| | | | 569/518 | 2600 | 0.26 |
| | | | | कुल | 2.25 |

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 23/06/2026 को जारी की गयी।

**प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)**



**कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)**

क्रमांकः LU2012/KOT/2026-27/101223 **लोक सूचना** दि.22.06.2026

श्री CHHOTU LAL पुत्र श्री OGAD LAL जाति MEGHWAL निवासी UMMED GANJ TEH. LADPURA JILA KOTA ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **फार्म हाउस** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

| क्र. सं. | ग्राम तहसील व जिले का नाम | खातेदार का नाम | खसरा सं. | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) | निर्मित क्षेत्रफल (हैक्टे.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | डगारिया, दीगोद (कोटा) | CHHOTU LAL S/O ODAG LAL (OGAD LAL) R/O UMMED GANJ | 528/252 | 2900 | 0.29 |
| | | | | कुल | 0.29 |

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 22/06/2026 को जारी की गयी।

**प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)**



**कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)**

क्रमांकः LU2012/KOT/2026-27/101225 **लोक सूचना** दि. 22.06.2026

श्री CHHOTU LAL पुत्र श्री OGAD LAL जाति MEGHWAL निवासी UMMED GANJ TEH. LADPURA JILA KOTA श्री GOVIND KUMAR पुत्र श्री RAM RATAN जाति MEGHWAL निवासी KANSUA KOTA श्री RADHA KRISHAN पुत्र श्री OGAD LAL जाति MEGHWAL निवासी UMMED GANJ TEH. LADPURA ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **फार्म हाउस** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

| क्र. सं. | ग्राम तहसील व जिले का नाम | खातेदार का नाम | खसरा सं. | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) | निर्मित क्षेत्रफल (हैक्टे.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | डगारिया, दीगोद (कोटा) | (1) GOVIND KUMAR S/O RAM RATAN HISSA 1/3 (2) CHHOTU LAL S/O OGAD LAL HISSA 1/3 (3) RADHA KISHAN S/O OGAD LAL HISSA 1/3 | 256 | 5300 | 0.53 |
| | | | 502/256 | 5200 | 0.52 |
| | | | 514/256 | 5300 | 0.53 |
| | | | | कुल | 1.58 |

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 22/06/2026 को जारी की गयी।

**प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)**



**कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)**

क्रमांकः LU2012/KOT/2026-27/101220 **लोक सूचना** दि.23.06.2026

श्री ANKUSH WADHWA पुत्र श्री SUNIL KUMAR WADHWA जाति PUNJABI निवासी 126 RAM GALI NUMBER 3 AADARSH NAGAR JAIPUR श्री SUNIL KUMAR WADHWA पुत्र श्री CHANAN LAL WADHWA जाति PUNJABI निवासी 558/6 RAJA PARK JAIPUR ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **पर्यटन इकाई** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

| क्र. सं. | ग्राम तहसील व जिले का नाम | खातेदार का नाम | खसरा सं. | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) | क्षेत्रफल (हैक्टे.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | नयाखेड़ा, लाडपुरा (कोटा) | SUNIL KUMAR WADHWA S/O CHANAN LAL WADHWA | 159/1 | 1300 | 0.13 |
| | | | 161 | 2500 | 0.25 |
| | | | 162 | 1650 | 0.165 |
| | | | 629/160 | 900 | 0.09 |
| 2. | नयाखेड़ा, लाडपुरा (कोटा) | ANKUSH WADHWA S/O SUNIL KUMAR WADHWA | 160 | 1800 | 0.18 |
| | | | | कुल | 0.815 |

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 23/06/2026 को जारी की गयी।

**प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)**



**राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा**

क्रमांक-762 **जाहिर आम सूचना** दिनांक-23.06.26

आवास संख्या 1-ज-10 केशवपुरा, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री चेतराम रत्नाकर पुत्र श्री कल्याण सिंह को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री चेतराम रत्नाकर पुत्र श्री कल्याण सिंह द्वारा दिनांक 21.03.1991 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री चेतराम रत्नाकर पुत्र श्री कल्याण सिंह की मृत्यु दिनांक 25.12.2022 को हो चुकी हैं। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्रीमती मधु रत्नाकर पत्नी स्व. श्री चेतराम रत्नाकर एवं श्री शैलेन्द्र सिंह व श्री जितेन्द्र सिंह पुत्रान स्व. श्री चेतराम रत्नाकर द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये हक त्याग पत्र आलेखित कर दिनांक 08.11.2023 को श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री चेतराम रत्नाकर के पक्ष में किया गया। श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री चेतराम रत्नाकर द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-ज-10 केशवपुरा, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण / प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र एवं रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।
अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र एवं रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) के आधार पर श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री चेतराम रत्नाकर के नाम करने में किसी भी पक्षकार / व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण / प्रतिस्थापन श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री चेतराम रत्नाकर के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/ प्रतिस्थापन श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री चेतराम रत्नाकर के नाम कर दिया जावेगा।

**उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा**



**राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा**

क्रमांक-784 **संशोधित जाहिर आम सूचना** दिनांक-23.06.26

आवास संख्या 3/236 गणेश तालाब, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री जेकोब के. अब्राहम पुत्र अब्राहम थोमस को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती निर्मला जैन पत्नी श्री श्याम सुन्दर जैन के नाम दिनांक 01.12.1995 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती निर्मला जैन पत्नी श्री श्याम सुन्दर जैन द्वारा दिनांक 22.03.1996 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्रीमती निर्मला जैन पत्नी श्री श्याम सुन्दर जैन द्वारा इस आवास से सम्बन्धित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 15.10.2004 को मुख्तारनामा आम आलेखित कर श्री विकास जैन पुत्र श्री नेमीचन्द जैन को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्री विकास जैन पुत्र श्री नेमीचन्द जैन मुख्तार आम श्रीमती निर्मला जैन पत्नी श्री श्याम सुन्दर जैन द्वारा मुख्तार आम धारक की हेसियत से उक्त आवास का बैचान जरिये बैय नामा आलेखित कर दिनांक 29.10.2004 को श्री हरीश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री बृजमोहन शर्मा एवं श्रीमती रामप्यारी देवी शर्मा पत्नी श्री बृजमोहन शर्मा को किया गया। श्री हरीश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री बृजमोहन शर्मा एवं श्रीमती रामप्यारी देवी शर्मा पत्नी श्री बृजमोहन शर्मा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3/236 गणेश तालाब, कोटा को बैय नामा के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख मे दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।
अतः इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्री हरीश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री बृजमोहन शर्मा एवं श्रीमती रामप्यारी देवी शर्मा पत्नी श्री बृजमोहन शर्मा का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्री हरीश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री बृजमोहन शर्मा एवं श्रीमती रामप्यारी देवी शर्मा पत्नी श्री बृजमोहन शर्मा का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/ पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में श्री हरीश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री बृजमोहन शर्मा एवं श्रीमती रामप्यारी देवी शर्मा पत्नी श्री बृजमोहन शर्मा का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज कर दिया जावेगा।

**उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा**



**राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा**

क्रमांक-755 **संशोधित जाहिर आम सूचना** दिनांक-23.06.26

आवास संख्या 5-ए-11 विज्ञान नगर, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री एम. के. वार्ष्णेय (महेश कुमार) को किया गया था। उक्त आवास का पंजीयन श्री एम. के. वार्ष्णेय (महेश कुमार) द्वारा दिनांक 26.07.1990 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री महेश कुमार वार्षेय की मृत्यु दिनांक 09.01.1992 को एवम् इनकी पत्नि श्रीमती प्रेमलता वार्ष्णेय पत्नि स्व. श्री महेश कुमार वार्षेय की मृत्यु दिनांक 02.03.2026 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्री आकाश वार्ष्णेय पुत्र स्व. श्री ललित वार्ष्णेय, कोमल वार्ष्णेय पुत्री स्व. श्री ललित वार्ष्णेय द्वारा उक्त आवास में निहीत अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये रिलीज डीड (त्याग पत्र) आलेखित कर दिनांक 06.05.2026 को श्रीमती अनिता वार्षेय पत्नि स्व. श्री ललित वार्षेय के पक्ष में किया गया। श्री प्रदीप्त वार्ष्णेय पुत्र स्व. श्री महेश कुमार वार्ष्णेय, सन्दीप वार्ष्णेय पुत्र स्व. श्री महेश कुमार वार्ष्णेय, अमित वार्ष्णेय पुत्र स्व. श्री एम.के. वार्ष्णेय एवम् अनीता वार्षेय पत्नि स्व. श्री ललित वार्षेय द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 5-ए-11 विज्ञान नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रिलीज डीड (त्याग पत्र) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।
अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर श्री प्रदीप्त वार्ष्णेय पुत्र स्व. श्री महेश कुमार वार्ष्णेय, सन्दीप वार्षेय पुत्र स्व. श्री महेश कुमार वार्ष्णेय, अमित वार्ष्णेय पुत्र स्व. श्री एम.के. वार्ष्णेय एवम् अनीता वार्षेय पत्नि स्व. श्री ललित वार्ष्णेय के नाम करने में किसी भी पक्षकार / व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री प्रदीप्त वार्ष्णेय पुत्र स्व. श्री महेश कुमार वार्ष्णेय, सन्दीप वार्षेय पुत्र स्व. श्री महेश कुमार वार्ष्णेय, अमित वार्ष्णेय पुत्र स्व. श्री एम.के. वार्ष्णेय एवम् अनीता वार्षेय पत्नि स्व. श्री ललित वार्ष्णेय के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री प्रदीप्त वार्ष्णेय पुत्र स्व. श्री महेश कुमार वार्ष्णेय, सन्दीप वार्षेय पुत्र स्व. श्री महेश कुमार वार्ष्णेय, अमित वार्ष्णेय पुत्र स्व. श्री एम.के. वार्ष्णेय एवम् अनीता वार्षेय पत्नि स्व. श्री ललित वार्ष्णेय के नाम कर दिया जावेगा।

**उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा**